

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2 (क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली-2013 के
नियम-17(क) को देखें:

ई-मेल : deobasichardwar@gmail.Com

दूरभाष : 01334-239118

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०) हरिद्वार।

पत्रांक : मान्यता (बे०)/आर०टी०ई०/1951-55 /2018-19 दिनांक 29 मई 2018

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबन्धक
द एसपी ग्लोबल स्कूल, पुढाना रुड़की
विकासखण्ड रुड़की
जिला हरिद्वार।

विषय : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 19(2) के प्रयोजनार्थ
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली-2013 के नियम-17(क)
के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का
प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वघोषणा-पत्र दिनांक 31-05-2017 के क्रम
में आपके विद्यालय द एसपी ग्लोबल स्कूल, पुढाना रुड़की (कक्षा 1 से 8) विकासखण्ड रुड़की जिला हरिद्वार
को अधिनियम की धारा-19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण
करने का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद हरिद्वार में आपके विद्यालय को मान्यता कोड/पंजीकरण
संख्या J 865 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन
दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की
मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(ब्रह्मपाल सिंह)

(जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि०)

हरिद्वार

पृष्ठः मान्यता (बे०)/आर०टी०ई०/ /2018-19 दिनांक तदर्थ

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार।
- 2- जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
- 3- जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, हरिद्वार।
- 4- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड जनपद हरिद्वार।

(जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि०)

हरिद्वार।

PRINCIPAL
THE ESPEE CLOBAL SCHOOL
ROORKEE